जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– रिजर्व पुलिस लाइन   दिनॉक 27.07.2025

रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में पुलिस परिवार की महिलाओं के साथ आयोजित हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम।

वामा सारथी उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज दिनांकः 27.07.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वामा सारथी अध्यक्षा श्रीमती रिया पत्नी श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस परिवारों की महिलाओं एवं महिला पुलिस कर्मियों ने मेहंदी प्रतियोगिता/डांस प्रतियोगिता/तीज क्वीन प्रतियोगिता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। **मेहंदी प्रतियोगिता में सुभांगी ने प्रथम स्थान, सुमन ने द्वितीय स्थान एवं हिमानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डान्स प्रतियोगिता में उर्मिला त्यागी प्रथम स्थान, बवीता द्वितीय स्थान एवं शैली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीज क्वीन प्रतियोगिता में शिवा प्रथम स्थान, प्रतिभा द्वितीय स्थान एवं शोभा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।**

जिसमें श्रीमति वान्या सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक (वित्त एवं राजस्व) जनपद बिजनौर पत्नि श्री संग्राम सिंह, क्षेत्राधिकारी लाईन बिजनौर, श्रीमति अंशिका दीक्षित अपर जिला अधिकारी (न्यायिक) पत्नी श्री अंजनी कुमार चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी नगीना जनपद बिजनौर, श्रीमति पुष्पादेवी पत्नी श्री विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जनपद बिजनौर व श्रीमती मीरा सिकरवार पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर उपस्थित रहें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा   दिनॉक 27.07.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 278/25 धारा 61(2)/109(1)/115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.07.2025 को वादी श्री फैसल पुत्र अकरम निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मोनिष उर्फ मोनू पुत्र छोटे 2.अनस पुत्र छोटे 3.रोशनी पुत्री छोटे 4.विलकिश पत्नी छोटे 5. असलम पुत्र नन्हे निवासीगण ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6.अकबर द्वारा वादी व वादी की माता पर जान से मारने की नियत से फावडे व डण्डो से वार किया तथा अभियुक्त असलम व अकबर द्वारा पूरे प्रकरण की साजिश की गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योाहारा पर मु0अ0सं0 278/25 धारा 61(2)/109(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 27.07.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोनिष उर्फ मोनू पुत्र छोटे निवासी ग्राम मेवाजट थााना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.मोनिष उर्फ मोनू पुत्र छोटे निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2501 शिवम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 2056 अरूण थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 27.07.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस मु0अ0सं0 635/25 धारा 318(2)/127(2)/351(2) बीएनएस व धारा 3(1) / 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है दिनांक 26.07.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादिया के पति की 09-10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त नसीमुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने स्वयं का नाम "रवि जाट" बताकर छलपूर्वक वादिया का विश्वास अर्जित किया व हमदर्दी दिखाकर मकान बनवाने के नाम पर वादिया से लगभग 08 लाख रुपये की नगदी व आभूषण हड़प लिए और मकान निर्माण नहीं कराया व अभियुक्त द्वारा महिला व उसके नाबालिग बच्चों को अपने घर ले जाकर कथित रूप से डरा-धमकाकर नजरबंद कर वादिया से कुछ सादा कागजों पर अंगूठे लगवा लिए व जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हुए वादिया व उसके बच्चों के नाम परिवर्तित कर अपने धर्म के नाम से आधार कार्ड बनवा दिए। वादिया के पुत्र की शादी भी अपने समुदाय में करा दी व अन्य बच्चों की शादी भी अपने समुदाय में कराने की योजना बना रहा था। वादिया द्वारा विरोध करते हुए बच्चों की शादी हिन्दू धर्म में करने की बात कही तो अभियुक्त ने वादिया व उसके बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया। दिनांक 17.07.2025 को अभियुक्त किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने हेतु घर से निकला तथा मकान का ताला लगाना भूल गया। इसी दौरान वादिया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 635/25 धारा 318(2)/127(2)/351(2) बीएनएस व धारा 3(1)/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त नसीमुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

नसीमुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सतेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 2434 लोकेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1410 रवि कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 27.07.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 636/2025 धारा 64/61(2)/109(1)/115(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(1)/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से सम्बंधित 05 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि 10 माह पूर्व उसके पति ने उसको कस्बा किरतपुर में तारिक निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर की कपडे की दुकान पर काम करने के लिये बताया था। दुकान पर काम करने के दौरान पति व पत्नी में झगडा रहने लगा, जिसके बाद दुकानदार तारिक ने वादिया को मंडावर क्षेत्र मे किराये पर कमरा दिला दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये । दिनांक 23.02.2025 को अभियुक्तगण तारिक, नशरीन, अदनान, महराज, आरमा आदि वादिया को नजीबाबाद लेकर गये, जहां वादिया को नशा देकर मौलवियों की उपस्थिति में उसका निकाह तारिक से कराया गया तथा नाम “आयशा” रख दिया गया। वादिया ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जबरन दिल्ली अपोलो अस्पताल एवं ऋषिकेश स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी किडनी बेचने का प्रयास किया गया। अस्पताल में किडनी बेचने की जानकारी होने पर उसके द्वारा विरोध किया गया, जिससे उनमें झगड़ा हुआ और पुनः मंडावर लेकर आये। इसके बाद तारिक और उसके साथियों द्वारा वादिया व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। दिनांक 21.07.2025 को वादिया को पुनः नशा देकर अभियुक्तगण तारिक व उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और उसके मुंह में जहर डालकर जान से मारने का प्रयास किया।

इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 636/25 धारा 64/61(2)/109(1)/115(2)/352/3(5) बीएनएस व धारा 3(1)/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 05 अभियुक्तगण 1.मौ0 तारिक पुत्र कमरुद्दीन 2.नसरीन पत्नी मौ0 तारिक निवासीगण तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर 3.नदीम पुत्र रफीक अहमद निवासी मौ0 मिर्जापुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 4.अयान पुत्र मौ0 आजम निवासी मौ0 अंसारिया कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 5.अमन उर्फ सुलेमान पुत्र अब्दुल वाहब निवासी मौ0 अहमद खेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मौ0 तारिक पुत्र कमरुद्दीन निवासी तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर

2.नसरीन पत्नी मौ0 तारिक निवासी तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर

3.नदीम पुत्र रफीक अहमद निवासी मौ0 मिर्जापुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

4.अयान पुत्र मौ0 आजम निवासी मौ0 अंसारिया कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

5.अमन उर्फ सुलेमान पुत्र अब्दुल वाहब निवासी मौ0 अहमद खेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक उदयप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 बबलू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. म0का0 1068 सरिता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. का0 1319 अर्पित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7. का0 1084 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8. का0 904 विमल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर